Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 33–2024] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 13, 2024 (SRAVANA 22, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जुलाई, 2024

संख्या 12/250–जरासंध–2024–पुरा/2445–2452.— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों तथा प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों का हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है;

इसलिए, अब, हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति या उसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, के साथ जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए, पर विचार करेगी।

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष कानाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जानेवाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
जरासंध काटीला (प्रारंभिक ऐतिहासिक – प्रारंभिक मध्यकालीन)	जरासंध काटीला (प्रारंभिक ऐतिहासिक – प्रारंभिक मध्यकालीन)	संधाई	बिलासपुर, यमुनानगर	खसरा–83 खेवट संख्या–501 हदबस्त संख्या–265	19–11	हरियाणा सरकार वन विभाग	यह क्षेत्र संधाई गांव (30°20' 49"N and 77° 19' 08"E) के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो यमुना नगर जिले की बिलासपुर तहसील में स्थित है। यह तहसील मुख्यालय बिलासपुर से 5 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय यमुनानगर से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव प्राचीन नदी सरस्वती के पूर्वी तट और बाढ़ से प्रभावित मैदानी क्षेत्र में स्थित है। गांव में विशाल टीला है, (परिधि में लगभग 1.72 एकड़ क्षेत्रफल) जो कृषि क्षेत्र

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष कानाम	गांव/ शहर का नाम	तहसील/ जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/ किला संख्या	संरक्षित किया जानेवाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
							में स्थित है। टीला संघन वनस्पति से पूर्णतः आच्छदित है। इस क्षेत्र के सर्वेक्षण में पाया गया है कि विभिन्न सांस्कृतिक चरणों की सांस्कृतिक सम्पदा गुप्तकाल से लेकर गुर्जर–प्रतिहारों तक के समकालीन हैं। टीले के चारों ओर दिखाई देने वाली पुरातत्विक सामग्री में मृदभाण्ड की आकृतियां छोटे–छोटे मिट्टी के बर्तन, कटोरे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुशाण काल की ईटें प्राप्त हुई है। इस विभाग द्वारा 33 इंडो–सासैनियन सिक्के एकत्रित किए गए।

कला रामचंद्रन
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 10th July, 2024

No.12/250-Jarasandh-2024-Pura/2445-2452.— Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that archaeological sites and remains and ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below, to be protected archaeological sites and remains specified in columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the said Schedule to be protected area.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, from any person with respect to the proposal which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Heritage and Tourism Department, Chandigarh before the expiry of the period so specified: -

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of village/ city	Name of tehsil / district	Revenue Khasra/ Kila number under protection.	Area to be protected Kanal-Marla	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Jarasandh Ka Tila (Early Historical-Early Medieval Site)	Jarasandh Ka Tila (Early Historical-Early Medieval Site)	Sandhai	Bilaspur Yamuna Nagar	Khasra No. 83 Kila No. 501 Hadbast No. 265	19 –Kanal 11- Marla	Haryana Govt. Forest Department	Area comes under the jurisdiction of Sandhai village (30°20' 49" N and 77° 19' 08" E) which is located in Bilaspur Tehsil of Yamunanagar district. It is situated 5km away from sub-district headquarter Bilaspur, 28km away from district headquarter Yamuna Nagar. The village lies on the east bank and flood plains of ancient River Saraswati. Village has a huge mound (about 1.72, acre area in circumference) which is situated in the agricultural field. The mound is totally covered by thick vegetation. During field

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of village/ city	Name of tehsil / district	Revenue Khasra/ Kila number under protection.	Area to be protected Kanal-Marla	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
							survey it has been noticed that the cultural material of different cultural phases is from Gupta period to Gurjar-Partiharas. A bricks alignment visible around the mound. Ceramics shape includes small pots, bowls. Some Kushan bricks were also found scattered in the field. 33 Indo-Sasanian coins collected by the Department.

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Heritage and Tourism Department.

11222—C.S.—H.G.P., Pkl.